राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 210/2025

संजीव कुमार

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा, बीकानेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय), प्रारंभिक शिक्षा, धौलपुर।
4. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, भूरापुरा, ब्लॉक सैपव, धौलपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 10.01.2025
आदेश की दिनांक : 29.01.2025

अपीलार्थी की ओर से : श्री रामप्रताप सैनी, अधिवक्ता

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

<u>आदेश</u>

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलो के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील के अनुसार कि अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा पारित दिनांक 07.12.2024 के आदेश को चुनौती दी है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को इस तथ्य पर विचार किए बिना दूर के स्थान पर नियुक्ति दी गई थी कि पास के पोस्टिंग स्थान पर शिक्षक ग्रेड III लेवल 2 संस्कृत रिक्त है। अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 23 पर रखा गया था। प्रत्यर्थी विभाग ने विवादित आदेश के माध्यम से अपीलार्थी का स्थानान्तरण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, भूरापुरा, ब्लॉक सैपव, जिला धौलपुर से राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, रावतपुरा, विरोंधा, ब्लॉक धौलपुर, जिला धौलपुर में कर दिया गया है और उन्होंने काउंसलिंग किए बिना और साथ ही पास में रिक्त पद दिखाए बिना अवैध रूप से नियुक्ति के ब्लॉक को बदल दिया है, जबकि प्रत्यर्थी विभाग ने समान स्थिति वाले उम्मीदवारों को पास की नियुक्ति जगह दी है। (अनुलग्नक–1) इसके बाद प्रत्यर्थी संख्या 2 ने दिनांक 14.11.2024 को विवादित आदेश जारी किया, जिसके द्वारा प्रत्यर्थी विभाग ने शिक्षकों को अधिशेष घोषित करके उनकी नियुक्ति के लिए निर्देश/अनुसूची जारी की है। प्रत्यर्थी विभाग ने काउंसलिंग आयोजित किए बिना ही विवादित नियुक्ति का आदेश जारी कर दिया, जिसके द्वारा अपीलार्थी को दुर्भावनापूर्ण इरादे से अवैध रूप से अधिशेष घोषित करके नियुक्त किया गया। (अनुलग्नक–2) अपीलार्थी अध्यापक ग्रेड III लेवल 2 संस्कृत के पद पर कार्यरत है। उसके बाद अपीलार्थी ने अपनी नियुक्ति के स्थान पर कार्यभार

ग्रहण कर लिया तथा पूरी ईमानदारी और संतुष्टि के साथ अपने कर्तव्यों का पालन किया। अपीलार्थी सबसे वरिष्ठ उम्मीदवार है।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावे कि अपीलार्थी के संबंध में जारी आलौच्य आदेश दिनांक 07.12.2024 (अनुलग्नक–1) को अपास्त फरमाया जावे एवं अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान अर्थात राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, भूरपुरा, ब्लॉक सैपव, जिला धौलपुर अध्यापक ग्रेड III लेवल 2 के पद पर निरंतर कार्यरत रखा जावे।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी अपील में अंकित तथ्यों के आधार पर प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहता है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अपनी परिवेदना प्रस्तुत कर सके।

अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है। अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के नियमों/ दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी दो सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि अधिकरण अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को किसी विशिष्ट तरीके से निस्तारित करने के संबंध में कोई आदेश नहीं दे रहा है।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा) **सदस्य**	**(चेतन राम देवड़ा)** **सदस्य**